

संख्या- 4157 /15-7-04-168 82 8/ 2004

प्रेषक,

**श्रीम प्रकाश पुस्तक
संस्था प्रा.सं.
के लिए प्रेषित किया ।**

सेवा में,

**श्रीम
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
प्लॉट नं-2 सामाजिक,
प्राज्ञ विहार, पटना ।**

शिक्षा 17 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 12 अगस्त, 2005

विषय:-

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, मेरठ की शीट नं-10/15/04-168 82 8/ 2004 के संकेत से अनुमति प्रमाण पत्र दिया गया ।

संदर्भ,

उपर्युक्त विषय की शीट नं-10/15/04-168 82 8/ 2004 के संकेत से अनुमति प्रमाण पत्र दिया गया ।

निम्नलिखित है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **शीट नं-10/15/04-168 82 8/ 2004** नई दिल्ली से संबन्ध हेतु अनुमति प्रमाण पत्र लिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपरित नहीं है :-

1. विद्यालय की प्रजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
2. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संगठित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पानी में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्ध केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्वामिन्स नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबन्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा

- 5] संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को अनुमत्या वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिए जायेंगे ।
- 6] कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमत्या सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 7] राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 8] विद्यालय रिजार्ड निर्धारित पुस्तक/पत्रिकाओं में रखा जायेगा ।
- 9] उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या विधिभ्रंशता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुपलब्ध प्रमाण पत्र वाफ्त ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

**प्रिंसिपल पुस्तक
विद्यालय**

प्रोसंतोष दिनांक तदव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2- मण्डलीय संपुक्त शिक्षा निदेशक, **मेरठ** ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **मेरठ** ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, **एन.पी. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेरठ** ।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,